न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर(राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुबोध सिंह चारणआर0ए0एस0उपखण्ड अधिकारी
वाडा

रण संख्या– 18/2014(राजस्व वाद) दायर दिनांक– 15.07.2014
फैसल दिनांक– 08/9/25

अनवान

-श्री लक्सी पिता कचरा उम्र 45 वर्ष निवासी जेठाणा तहसील सागवाडा
-श्री गटु पिता कचरा उम्र 43 वर्ष निवासी जेठाणा तहसील सागवाडा
-श्रीमी केशर बेवा कचरा उम्र 65 वर्ष निवासी जेठाणा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
(वादीगण)

बनाम

-श्रीमती जशोदा पत्नि कन्हैयालाल नाई उम्र व्यस्क निवासी जेठाणा तहसील सागवाडा
-श्री गौरीशंकर पिता जगन्नाथ पण्डया उम्र व्यस्क जाति ब्राहमण निवासी जेठाणा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
-श्री तहसीलदार साहब लेण्ड होल्डर तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
(प्रतिवादीगण)

वकील वादीगण –श्री शैलेन्द्र जैन
वकील प्रतिवादीगण–श्री मयंक दोसी
वाद अन्तर्गत – बेदखल करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा
पारित फरमाने अन्तर्गत धारा 183(ख), 188, 202
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

निर्णिय

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किप्रार्थी वादीगण के कब्जे एवं स्वामित्व कि खातेदारी जमीन मौजा जेठाणा के जमाबन्दी नकल सवत् 2065–68 में दर्ज खाता नं0 1097 नई 972 पुरानी में दर्ज खसरा नं0 4956 रकबा 3 बिस्वा सुखी द्वितीय दर्ज रिकार्ड है। उक्त 3 बिसवा जमीन मेसे वादीगण का हिस्सा 1/2 अर्थात 1.5 बिस्वा है जो वादीगण के कब्जे स्वामित्व एवं आधिपत्य की जमीन है जो चारों ओर से पुराने परकोटे से गिरी हुई है।

2-यह कि दिनांक 30.04.2014 को प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 द्वारा मिलीभगत कर अवैध रूप से पुर्वक एवं बल पुर्वक वादीगण के उक्त खातेदारी जमीन पर अतिक्रमण करते हुए मजदुर लगाकर प्रतिवादी संख्या 1 के लिये मकान निर्माण हेतु निवें खुदवाना शुरू कर दिया। जिसकी जानकारी होने पर वादी नं0 1 मौके पर गया तथा अपनी जमीन पर निवें ना खोदने का निवेदन किया गया, जिस पर प्रतिवादीगण एवं उनके मजदुर भडक गये तथा वादी को डरा धमका कर मारपीट का भय दिखा कर भगा दिया गया।

3-यह कि इस पर वादी नं0 1 ने इस आशय कि एक रिपोर्ट पुलिस थाना सागवाडा को प्रार्थी जिस पर पुलिस थाने का एक जाब्ता मौके पर आया एवं उक्त निर्माण कार्य को

ा दिया लेकि न श्रीमान उक्त लोगो प्रतिवादीगण ने 14 दिन काम बन्द करके रखा उक्त मकान निर्माण कार्य पुनः दिनांक 05.05.2014 को चालु कर दिया गया। जिस पुनः प्रार्थी मौके पर गया तथा प्रतिवादीगण को कार्य करने से रूकवाया लेकिन वादीगण नही माने एवं वादी को जातिसुचक शब्दों का प्रयोग करते हुए वादी को पुनः से अपमानित करके भगा दिया।

-यह कि प्रतिवादीगण एवं उनके मजदुर तथा कारीगर वादीगण के खातेदार जमीन सरा नं0 4956 रकबा 1.5 बिस्वा पर बल पुर्वक अतिक्रमण करके जोर शोर मकान र्माण कार्य कर है जिन्हे स्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमाकर नही रोका गया तो तिवादीगण उक्त सर्म्पुण मकान निर्माण कार्य सम्पादित कर देगें एवं वादीगण उक्त खेत के खातेदार स्वामी होते हुए भी अपनी किमती जमीन से वंचित एवं महरूम हो जायेगें जिसकी भरपाई किसी भी रूप से संभव नही है अर्थात वादीगण को अनुरणिय क्षति होगी।

3-यह कि वादीगण अनुसूचित जप जाति वर्ग के सदस्य है तथा उक्त आराजी मौजा जेठाणा के वर्तमान खाता नं0 1097 के खसरा नं0 4956 कुल रकबा 3 बिस्वा मेसे अपने हिस्से रकबा 1.5 बिसवा जतीन के खातेदार काश्तकार है तथा उक्त जमीन किमती है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा मिलीभगत कर के रूपयों के दम पर तथा गरिब आदिवासी वादीगण को डरा धमका कर अतिक्रमण कर लिया गया तथा उक्त जतीन पर मकान निर्माण कार्य कर रहे है जिन्हे धारा – 183 (ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत संक्षिप्त प्रकिया द्वारा तुरन्त ही बेदखल किया जाना अतिआवश्यक है अन्यथा आदिवासी वादीगण के साथ अन्याय होगा।

6-यह कि दोराने वाद कार्यवाही कें यदि प्रतिवादी नं0 1 व 2 द्वारा अवैध रूप से बल पुर्वक उक्त रेवेन्यु जमीन पर मकान निर्माण का कितना भी भाग निर्मित कर दिया गया जाता है तो आदेशात्मक निषेधाज्ञा पारित फरमाकर उक्त निर्मित भवन या उसके भाग को तुडवाया जाने का आदेश फरमाया जाना अति आवश्यक है। अन्यथा वादीगण को अपुरणिय क्षति होगी जिसका आर्थिक प्रतिकार पर्याप्त अनुतोष नही होगा, क्यो कि अतिक्रमण से एवं मकान निर्माण से वादीगण को होने वाली संभावित क्षति का निश्चयन मुश्किल है।

7-यह कि प्रतिवादीगण गांव के प्रभावशाली व्यक्ति होने रूपयों के दम पर गरीब आदीवासी को डरा धमका कर किमती जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है। जिन्हे किसी भी हालात में बेदखल करके कब्जा हटाने का आदेश फरमाया जाना न्याय संगत है। क्यो कि प्रतिवादीगण अपने प्रभाव का इस्तमाल करके तथा वादीगण को डरा धमका कर उनकी खातेदारी जमीन हड़प लेना चाहते है।

8-यह कि प्रतिवादी नं0 3 वाद के आवश्यक पक्षकार होने से वाद के पक्षकार प्रतिवादी बनाये गये है। उनके विरूद्व कोई दाद न चाहने से उन्हे धारा 80 जा0दी0का नोटिस नही दिया गया है।

यह कि वाद का कारण दिनांक 30.04.2014 को उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी 1 व 2 ने वादी के उक्त आराजी खसरा नं0 4956 रकबा 3 बिस्वा मेसे वादीगण के से 1.5 बिस्वा की जमीन बाडे पर अतिक्रमण करके अपने मकान निर्माण हेतु निवें खोदी, निर्माण सामग्री ईटें, पत्थर, ग्रेवल डाली और कार्य चालु किया तब से उत्पन्न हुआ।

उक्त विवादीत राजस्व रेकार्ड में रेवेन्यु दर्ज है तथा वाद बेदखल करने, स्थाई निषेधाज्ञा पारित कराने के साथ ही वादीगण ने न्यायालय से निवेदन कर वादीगण के पक्ष विरूद्व प्रतिवादीगण के निम्न आशय की की डिकी जारी कराने वाद प्रस्तुत किया गया।

(क) मौजा जेठाणा के जमाबन्दी नकल संवत 2065—68 में दर्ज संख्या खाता नं0 1097 नई 72 पुरानी में दर्ज खसरा नं0 4956 रकबा 3 बिस्वा सुखी द्वितीय दर्ज रिकार्ड है। उक्त 3 बिसवा जमीन मेसे वादीगण का हिस्सा 1/2 अर्थात 1.5 बिस्वा है, रेवेन्यु जमीन है जो चारो ओर से पक्के परकोटे से गिरी हुई है। जिसका कब्जा एवं स्वामित्व वादीगण का है पर प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने अतिक्रमण करके बल पुर्वक मकान का निर्माण कर रहे है, को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 ख के प्रावधानों के तहत तुरन्त बेदखल किया जाता है कब्जा हटाने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावे कि मोजा जेठाणा के वादीगण के कब्जे एवं स्वामित्व के खातेदारी खेत खाता नं0 1097 में दर्ज खसरा नं0 4956 के वादीगण के हिस्से की जमीन रकबा 1.5 बिसवा जमीन पर प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करे, अतिचार नही करे, किसी प्रकार का पक्का निर्माण कार्य नही करे न स्वंय न ठेकेदार या रिस्तेदार या अन्य मार्फत करावे।

(ग) इस आशय की आदेशात्मक निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावे कि दोराने वाद अगर बलपुर्वक प्रतिवादी नं0 1 व 2 द्वारा मकान निर्माण कार्य कर दिया जाता है तो उसे तुडवाया जावे मौके से निर्माण सामग्री हटवाई जाने का आदेश प्रदान करावे।

(घ) यह कि अन्य कोई दाद जैसा न्यायालय उचित समझे धारा 202 के अन्तर्गत वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाये जाने मय राजस्व रेकार्ड के साथ प्रस्तुत किया गया।

वाद प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दायर कर प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 को नोटिस सम्मन जारी किये गये। तत्पश्चात वकील प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से दिनांक 01.04.2015 को जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में बताया कि मोजा जेठाणा की खसरा नं0 4956 की रकबा 3 बिस्वा जमीन पर वादीगण का कब्जा एवं स्वामित्व नही है वादीगण का आधे हिस्से के खातेदार के रूप में गलती से नाम रास्व रेकार्ड में चला आ रहा है। अपने जवाब में बताया कि प्रतिवादी सं0 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 से बकायदा विक्रय पत्र से वादग्रस्त भूमि जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.12.2013 से क्रय की है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि 17.10.1984 को श्री धनजी पिता कालिया नाई निवासी जेठाणा से पंजीकृत

य पत्र के जरिये क्रय की थी एवं वर्ष 1997 में ग्राम पंचायत जेठाणा से बकायदा कृति लेकर उक्त भूमि पर पत्थरों के परकोटे का निर्माण कर लोहे का गेट लगाया गया इसी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने मकान का निर्माण कार्य किया गया है। वादी संख्या 1 व 2 नें वादी को डराया धमकाया नही है न ही उसे मापरीट का भय खाया गया है। तत्पश्चात तनकी कायमी हेतु पत्रावली निर्धारित की गई। पक्षकारान ील को तनकी कायम कर सुनाई गई। निम्नानुसार तनकी कायम की गई।

- आया वाद ग्रस्त भूमि का वादी सह खातेदार होकर 1/2 हिस्से की भूमि पर कब्जा ा है ?

(वादी)

- आया वादी अपने हिस्से की वाद ग्रस्त भूमि पर इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पाने ा अधिकारी है कि प्रतिवादीगण उसके खाते की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य ही करे ?

(वादी)

3) आया वादी अपने हिस्से की वाद ग्रस्त भूमि पर धारा 183 बी के तहत कार्यवाही करने ा अधिकारी है ?

(वादी)

(4) आया प्रतिदावे में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता एवं वादीगण सं0 3 के पति ने ाद ग्रस्त खसरा दिनांक 24.04.1959 को धनजी पिता कालिया नाई को बेचान कर इसका कब्जा भेमई नाई को सुपुर्द किया ?

(प्रतिवादी)

(5) आया प्रतिदावे में वाद ग्रस्त भूमि पर धनजी ने मकान बना उसे 1984 में गौरीशंकर को विक्रय किया जिस पर 1997 में निर्णय स्वीकृति लेकर परकोटा बना 24.12.13 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय किया गया ?..

(प्रतिवादी)

(6) आया प्रतिदावे में वादग्रस्त आराजी का हिस्सा क्रय होने के बावजूद भी वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में त्रुटिवश चला आ रहा है जिसे हटवाने का प्रतिवादीगण अधिकारी है ?

(प्रतिवादी)

(7) अनुतोष ?.....(प्रतिवादी)

बाद तनकी पत्रावली साक्ष्य वादी निर्धारित की गई। वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र जवाबुल जवाब व जवाब प्रतिदावा का पेश किया गया। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर पत्रावली वास्ते बहत प्रार्थना पत्र निर्धारित की गई। वकील उभय पक्ष की उपस्थिति में वकील वादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 6 क की बहस सुनी गई प्रार्थना पत्र वकील वादी खारीज किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी निर्धारित की गई। दिनांक 25.04.2017 को वादी लक्सी पिता कचरा के बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, नकल प्रतिवादी वकील को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते जिरह निर्धारित की गई। तत्पश्चात दिनांक 06.02.2019 को वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 ए व सीपीसी का प्रस्तुत किया गया नकल वादी वकील को दिलाई गई। वकील प्रतिवादी

स्तावेज मय सूचि के पेश किये गये। वकील वादी ने दिनांक 20.02.2020 को प्रार्थना आदेश 8 नियम 1 का जवाब प्रस्तुत किया गया पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु ारित की गई। तत्पश्चात दिनांक 07.09.2020 को वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में ना पत्र आदेश 8 नियम 1 की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र देश 8 नियम 1 हेतु निर्धारित की गई।

वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में दिनांक 21.10.2020 को बहस सुनी गई। प्रार्थना 8 नियम (1) पर पुर्व में बहस सुनी जा चुकी है प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया कि प्रतिवादी द्वारा पेश पंजीकृत दस्तावेज कार्ड पर लिये जाते है, अंपजीकृत दस्तावेज रिकार्ड पर नही लिये जा नियमानुसार तिवादी को लौटाया गये। पत्रावली वास्ते शहादत वादी निर्धारित की गई।

शहादत वादी हेतु वादी वकील को पुर्व में कई अवसर दिये जाने के बाद भी दिनांक 25.08.2021 को उपस्थित नही होने से वकील वादी एवं वादीगण को न्यायालय समय में तीन बार आवाजे लगवाई कोई उपस्थित नही आने से वाद वादी अदम हाजरी अदम पेरवी खारीज किया गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रतिदावा जवाब के साथ–साथ पेश किया गया पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी निर्धारित की गई।

दिनांक 09.02.2022 को वकील प्रतिवादी उपस्थित गवाह जशोदा व गौरीशंकर का पेश किये दस्तावेज प्रर्दश करा गवाह **DW 1 , DW 2** के बयान लेखबद्व कराये। गवाह DW 1 जशोदा पत्नि कन्हैयालाल नाई निवासी जेठाणा ने अपने बंयान लेखबद्व कराये गये जिसमें बताया गया कि अपने मुख्य परीक्षण में आज दिनांक 09.02.2022 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी संपूर्ण इबारत मेरी जानकारी से सही व सत्य होना बताया गया। मेरे स्वसुर धनजी द्वारा वादग्रस्त जमीन कय करने का स्टाम्प प्रदर्श–1 व उसकी नोटेरी से प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1ए, प्रर्दश ए.1 पर ए से बी गवाह मोतीराम पुरोहित के हस्ताक्षर है जो मोतीराम जी पुरोहित ने मेरे हक मे शपथ पत्र प्रदर्श 2 निष्पादित कर दिया था। प्रदर्श– 2 पर ऐसे श्री मोतीराम जी पुरोहित के हस्ताक्षर है। मेरे ससुर से उक्त जमीन गौरीशंकर जी पुरोहित ने खरीदी थी। जो रजिस्ट्री प्रदर्श--3 व उसकी छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श--3ए है। गौरीशंकर ने ग्राम पंचायत जेठाणा से उक्त जमीन पर निर्माण की स्वीकृति ली थी जिसकी नोटेरी से प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–4 है। गोरीशंकरजी से मैने उक्त जमीन कय की जिसकी रजिस्ट्री प्रदर्श–5 पत्रावली पर उसकी नोटेरी से अटेस्टेड प्रति प्रदर्श–5ए है। वादग्रस्त जमीन की जमाबन्दी प्रदर्श–6 है। रजिस्ट्री प्रदर्श–5 पर ए से बी मेरे व सी से डी गौरीशंकर जी के हस्ताक्षर है। **DW 2** गौरीशंकर पिता जगन्नाथ पण्डया ब्राहमण निवासी जेठाणा ने अपने मुख्य परिक्षण में दिनांक 09.02.2022 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी सर्म्पुण इबारत मेरी जानकारी से सही व सत्य है। वादग्रस्त जमीन मैंने जशोदा के ससुर धनजी से वर्ष 1984 में कय की थी जो उक्त रजिस्ट्री पर के हस्ताक्षर है। ग्राम पंचायत जेठाणा से इस जमीन पर मैने परकोटा निर्माण की

ारिसान होने के तथ्य प्रकट होते हो, वादीगण के पुर्वज कचरा के द्वारा अपनी हिस्से कोई भूमि प्रतिवादीगण को विकय नही की है। ऐसे में उक्त तनकी प्रतिवादी साबित ने में असफल रहा है।

आया प्रतिदावे में वाद ग्रस्त भूमि पर धनजी ने मकान बना उसे 1984 में गौरीशंकर को क्रय किया जिस पर 1997 में निर्णय स्वीकृति लेकर परकोटा बना 24.12.2013 को तेवादी संख्या 2 द्वारा जरिये पंजीकृत विकय पत्र के प्रतिवादी संख्या 1 को विकय या गया ?

(प्रतिवादी)

) आया प्रतिदावे में वादग्रस्त आराजी का हिस्सा कय होने के बावजूद भी वादीगण का ाम राजस्व रेकार्ड में त्रुटिवश चला आ रहा है जिसे हटवाने का प्रतिवादीगण अधिकारी है

(प्रतिवादी)

तनकी संख्या 2 एवं 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादी के द्वारा धनजी से आबादी शुदा भूमि उसके हिस्से की जिस पर उसका मकान था जो तकरीबन 1020 वर्गफिट था, कय किये जाने के दस्तावेज पेश किये है ओर उक्त भूमि को रकोटा निर्माण कराया जाकर जशोदा को विकय करने के दस्तावेज पेश किये है परन्तु पत्रावली में उत्पन्न प्रश्नों का उत्तर कही भी पत्रावली के अवलोकन से नही मिल रहा है के धनजी के द्वारा अपनी आबादी शुदा भूमि भेमई नाई को विकय की हो, भेमई नाई के द्वारा उक्त भूमि आबादी में परिवर्तित कराकर गौरीशंकर को दी हो ओर गौरीशंकर ने उसका नामान्तकरण दर्ज कराया हो। आबादी का नामान्तकरण प्रस्तुत नही है। वादीगण धनजी के वारिसान हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही है। विवादित खसरे में धनजी अकेला स्वामी हो। आबादी भूमि के विवाद का निर्धारण अथवा विवाद का निर्णय राजस्व न्यायालय किस कानुन के तहत करे आदि कही तथ्यों को देखते हुए विवादित खसरे में वादीगण ओर शिवा के वारिसानों के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादी गौरीशंकर के दस्तावेज प्रर्दश 3ए में स्वंय स्वीकार किया है कि वह धनजी के आधे हिस्से ही कय कर रहा है ओर उसके द्वारा 1020 वर्गफिट की भूमि की परकोटे की निर्माण स्वीकृति ली गई है। वादी ने ऐसा कोई पुराना सेटलमेंट के समय का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे वादग्रस्त खसरे में कचरा के वारिसान वादीगण का नाम त्रुटिवश दर्ज चला आ रहा हो। धनजी जाति से नाई था ओर वादीगण जाति से मीणा है। ऐसे में दोनो की सयुंक्त खातेदारी की वादग्रस्त भूमि हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादी ने पेश नही किया है। कचरा के द्वारा धनजी को विकय की गई भूमि किस्म वाडा है ओर दस्तावेज प्रर्दश 1ए में उक्त वाडे का नम्बर अथवा हद हदुदों का कोई उल्लेख नही है ऐसे में उपरोक्त दोनो तनकीया प्रतिवादी साबित करने में असफल रहा है। प्रतिवादी का प्रतिदावा खारिज किये जाने योग्य है।

कृति प्रदर्श–4 ली थी जो निर्माण स्वीकृति ग्राम पंचायत के तत्कालिन सरपंच बालकृष्ण या द्वारा दी गई है उनके हस्ताक्षर मैं पहचानता हूँ। प्रर्दश–4 पर बालकृष्ण के ताक्षर ए से बी है।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि दिनांक 26.08.2021 को वाद वादी, वादी धेवक्ता एंव वादी की अनुपस्थिति में खारिज किया जाकर प्रतिदावा होने से अग्रिम र्यवाही हेतु नियत की । दिनांक 09.02.2022 को गवाह के बयान लेखबद्व कराये जाकर स अन्तिम हेतु पत्रावली रखी गई है। प्रकरण बहुत ही पुराना होने से काफी लम्बे समय बहस के स्तर पर लम्बित होने से बहस अन्तिम एक पक्षीय बहस हेतु दिनांक 04.06. 025 को रखी गई। वकील प्रतिवादी ने दिनांक 12.08.2025 को लिखीत बहस हेतु अवसर ाहा गया। प्रतिवादी वकील ने दिनांक 19.08.2025 को लिखीत बहस पेश की गई।

प्रतिवादी के प्रतिदावे एंव जवाब दावे के आधार पर बनी तनकीयों की विवेचना तनकी ार निम्नानुसार की जा रही है।

1) आया प्रतिदावे में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता एवं वादीगण सं0 3 के पति ने ाद ग्रस्त खसरा दिनांक 24.04.1959 को धनजी पिता कालिया नाई को बेचान कर इसका ब्जा भेमई नाई को सुपुर्द किया ?

(प्रतिवादी)

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी के द्वारा खसरा नं0 4956 मोजा जेठाणा रकबा 0.03 बिस्वा भूमि मेसे धनजी का हिस्सा 1.5 बिस्वा प्रतिवादी के द्वारा पंजिकृत विकय पत्र के कय किया जाकर उक्त हिस्से को भूमि रूपान्तकरण कराया जाकर प्रतिवादी श्रीमती जशोदा को पंजिकृत विकय पत्र दिनांक 23.12.2013 को विकय किया गया है। प्रतिवादी द्वारा पेश विकय पत्र प्रर्दश 3ए व 5ए में खसरा नम्बर का उल्लेख नही होकर हद हदुद के साथ 1020 वर्गफिट की भूमि कय किये जाने का उल्लेख है उक्त भूमि के उत्तर की तरफ गॉव का रास्ता है तथा पुर्व तरफ विकेता धनजी का मकान अंकित है उक्त भूमि पर प्रर्दश 4 से प्रतिवादी गोरीशंकर के द्वारा परकोटा निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की है। प्रर्दश 2 शपथ पत्र के अनुसार खसरा नं0 3151 का विकय धनजी नाई को किये जाने का कहा गया है, कचरा एवं पन्ना के द्वारा खसरा नं0 4956 विकय नही कर खसरा नं0 3151 विकय किया है। विवादीत भूमि आबादी होकर वादीगण के हिस्से की भूमि से भिन्न भूमि है। खसरा नं0 4956 का पुर्व का नम्बर 3151 था ऐसा प्रतिवादी के द्वारा कहा गया परन्तु प्रतिवादी के द्वारा ऐसी कोई जमाबन्दी, फर्द तुलनात्मक अथवा राजस्व रेकार्ड पेश नही किया जिससे ये साबित होता हो कि प्रतिवादी संख्या 2 ने कचरा से कोई भूमि किस्म आबादी की कय की हो ओर ऐसा कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर नही है कि कचरा के द्वारा प्रतिवादी को कृषि भूमि का विकय आबादी में कराये बिना विकय किया हो। अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति की कृषि भूमि सामान्य वर्ग का व्यक्ति बिना भूमिरूपान्तरण के कय नही कर सकता है। प्रतिवादी के द्वारा वर्ष 1984 में हुए किसी प्रकार के भूमि रूपान्तरण के आदेश अथवा नामान्तकरण की प्रति पेश नही की ओर नही भूमिरूपान्तरण के संबंध में कोई उल्लेख अपने दस्तावेज प्रर्दश 3ए में किया प्रतिवादी के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिसमें वादीगण धनजी

उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी प्रतिवादी के पक्ष में बनी तनकीयों को प्रतिवादी [illegible]बित करने में असफल रहा अतः प्रतिवादी का प्रतिदावा खारीज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 08/09/25...... को सरे ईजलास सुनाया गया । डिकी पर्चा [illegible]री हो। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर होवे।

(सुबोध सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा, जि. डूंगरपुर (राज.)

डिगरी व मुकद्मे इब्तदाई

(आ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अदालत. ––– उपखण्ड अधिकारी सागवाडा मुकाम – सागवाडा

बईजलास – श्री सुबोध सिंह चारण आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

18/2014 (वाद)

अनवान

–श्री लक्सी पिता कचरा उम्र 45 वर्ष निवासी जेठाणा तहसील सागवाडा

–श्री गटु पिता कचरा उम्र 43 वर्ष निवासी जेठाणा तहसील सागवाडा

–श्रीमी केशर बेवा कचरा उम्र 65 वर्ष निवासी जेठाणा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर

(वादीगण)

बनाम

–श्रीमती जशोदा पत्नि कन्हैयालाल नाई उम्र व्यस्क निवासी जेठाणा तहसील सागवाडा

–श्री गौरीशंकर पिता जगन्नाथ पण्डया उम्र व्यस्क जाति ब्राहमण निवासी जेठाणा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर

–श्री तहसीलदार साहब लेण्ड होल्डर तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर

(प्रतिवादीगण)

वकील वादीगण –श्री शैलेन्द्र जैन

वकील प्रतिवादीगण–श्री मयंक दोसी

वाद अन्तर्गत – बेदखल करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा पारित फरमाने अन्तर्गत धारा 183(ख), 188, 202 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू श्री सुबोध सिंह चारण आर0ए0एस0 मनिजजानिब मुद्‌दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रतिवादी अपना प्रतिदावा साबित करने मे असल रहा जिससे प्रतिवादी का प्रतिदावा खारीज किया जाता है।

नीज ....मुबलिग...........बाबत ....खर्चा इस मुकद्मे के मय सूद व शहर .... फीसदी आज तारीख से तारीख बवसूलयाबी तक ....का अदा करे । बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08 मास 09 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा
जिला डूंगरपुर (राज.)

मुद्दई	रूपया	पै0	मुद्दायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालतनामा		
[illegible]नामा			स्टाम्प अरजी		
[illegible]ह सबूत			महनताना वकील		

र्चा गवाहान स कमीशनर त ईजराय हुक्मनामा मीजान			खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत ईजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

ड अधिकारी
जि. डूँगरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)